प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

रिट यचिका सिविल सं 1975/2025

1 – नेतराम कश्यप पिता प्राण नाथ ,42 वर्ष निवासी वार्ड सं.–12, चोरभट्ठी, तहसील–पामगढ़, जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

–––याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य अपने सचिव के द्वारा, पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

2 – कलेक्टर जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

3 – उप–मंडल अधिकारी (आर.) पामगढ़, जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

4 – जानकी प्रसाद कश्यप पिता केशव प्रसाद, 70 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 12, चोरभट्ठी, तहसील–पामगढ़, जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

5 – लक्ष्मी प्रसाद पिता राजाराम , 40 वर्ष निवासी वार्ड सं.–10, चोरभट्ठी, तहसील–पामगढ़, जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

6 – नरेश कश्यप पिता बलदेव प्रसाद, 35 वर्ष , निवासी वार्ड सं.–18, चोरभट्ठी, तहसील–पामगढ़, जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

7 – पुनीत कश्यप पिता चैत्रम 40 वर्ष, निवासी वार्ड सं .–11, चोरभट्ठी, तहसील–पामगढ़, जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

8 – सनत पटेल पिता रामफल पटेल 40 वर्ष निवासी वार्ड सं.–17, चोरभट्ठी, तहसील–पामगढ़, जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

9 – पीठासीन अधिकारी रघुराज सिंह चंदेल, निवासी गाँव–तरौद, तहसील–अकलतारा, जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

10 – निर्वाचन अधिकारी श्री महेंद्र लाहरे, तहसीलदार, पामगढ़, जिला जांजगीर–चंपा (छ.ग.)

––––उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(वाद शीर्षक सी. आई. एस. प्रणाली से लिया गया है)

याचिकाकर्ता हेतु:––श्री अनीश तिवारी, अधिवक्ता तथा श्री अतुल कुमार केशरवानी, अधिवक्ता

राज्य हेतु :सुश्री उपासना मेहता, पैनल अधिवक्ता

उत्तरवादी संख्या 4 हेतु :श्री चंद्रेश श्रीवास्तव, अधिवक्ता

माननीय श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद,न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

21/04/2025

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित अनुतोष हेतु प्रार्थना की गयी है:---

" 10.1 माननीय न्यायालय कृपया राजस्व प्रकरण संख्या 2025040611000019/122/2025 में निर्वाचन न्यायाधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 16.04.2025 (अनुलग्नक पी–1) को न्याय के हित में रद्द/ अपास्त करने की कृपा करे, जिसका शीर्षक : जानकी प्रसाद कश्यप बनाम नेतराम कश्यप एवं अन्य है।

10.2.यह माननीय न्यायालय कृपया याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई अन्य रिट, आदेश, अनुतोष प्रदान करने की कृपा करे, जिसे माननीय न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और न्यायसंगत समझा जाये, जिसमें याचिकाकर्ता को लागत का क्षतिपूर्ति देना भी शामिल है।"

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता ग्राम पंचायत चोरभट्ठी, ब्लॉक पामगढ़, जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.) का विधिवत निर्वाचित सरपंच है और उसने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पामगढ़, जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.) निर्वाचन न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 16.04.2025 के आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत निर्वाचन याचिका पर निष्कर्ष निकाले बिना ही यांत्रिक और मनमाने तरीके से मतों की पुनर्गणना करने का निर्देश जारी किया गया है। 23.02.2025 को हुए निर्वाचन में याचिकाकर्ता को 489 वोट मिले थे, जबकि उत्तरवादी क्रमांक 04 को 451 वोट मिले थे। स्पष्ट बहुमत के आधार पर याचिकाकर्ता को निर्वाचित सरपंच घोषित किया गया और 25.02.2025 को निर्वाचन प्रमाण पत्र जारी किया गया।इसके बाद, उत्तरवादी संख्या 04 ने सीजी पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 122 के तहत एक निर्वाचन याचिका दायर की है, जिसमें मतगणना प्रक्रिया में विसंगतियों का आरोप लगाया गया है, विशेष रूप से बूथ संख्या 79

पर, बिना किसी औपचारिक आपत्ति या मतगणना के समय पुनर्मतगणना की मांग के। 16.04.2025 को विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा मतों की पुनर्मतगणना के निर्देश देते हुए आदेश पारित किया गया है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उत्तरवादी संख्या 3 विवाद्यक निर्धारित करने में विफल रहा है और उसने साक्ष्य पेश करने तथा साक्षीयों से परीक्षण/ प्रतिपरीक्षा करने का कोई अवसर भी नहीं दिया है।याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि किसी भी भौतिक साक्ष्य के अभाव में और बिना विवाद्यक निर्धारित किया गया और साक्ष्य पेश करने का अवसर दिए, विद्वान न्यायाधिकरण ने दिनांक 16.04.2025 को मतों की पुनर्गणना के लिए आदेश पारित किया है, जो अपने आप में अवैध, मनमाना है और माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के स्थापित प्रस्ताव का घोर उल्लंघन है। ।अतः, वर्तमान रिट याचिका उक्त आदेश को रद्द करने और लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता की रक्षा करने की मांग करते हुए दायर की जा रही है उन्होंने **माखन लाल बंगाल बनाम मानस भुनिया एवं अन्य, 2001 (2) एससीसी 652 में रिपोर्ट किए गए मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया।** इसके अलावा **उन्होंने रामा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, 2023 एससीसी ऑनलाइन छः 2258 में रिपोर्ट किए गए प्रकरण और श्रीमती सब्यारानी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य, 2019 एससीसी ऑनलाइन छः 101 में रिपोर्ट किए गए प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख किया गया।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. राज्य और उत्तरवादी संख्या 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं ने प्रस्तुत किया कि प्रथम दृष्टया सक्षम प्राधिकारी ने पाया है कि मतों की पुनर्गणना बिना मुद्दे तय किए निर्देशित किए जाने की आवश्यकता है, इसलिए, आक्षेपित आदेश पारित किया गया है जिसे त्रुटिपूर्ण नहीं कहा जा सकता है।

5. मैंने दोनों पक्षों का तर्क सुना गया हैं और रिट याचिका के साथ संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन किया है।

6. इस समय छत्तीसगढ़ पंचायत (चुनाव याचिकाएं, भ्रष्ट आचरण और सदस्यता के लिए निरर्हता) नियम, 1995 (संक्षेप में "नियम 1995") के नियम 11 का संदर्भ लेना आवश्यक है, जो निर्दिष्ट अधिकारी के समक्ष प्रक्रिया और उसकी शक्तियों का प्रावधान करता है। यह निर्धारित किया गया है कि इन नियमों के प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक चुनाव याचिका की जांच निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा, यथासंभव, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में "सीपीसी") के तहत लागू प्रक्रिया के अनुसार, मुकदमों के परीक्षण के लिए की जाएगी।यह निर्धारित किया गया है कि इन नियमों के प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक चुनाव याचिका की जांच निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा, यथासंभव, मुकदमों की सुनवाई के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में "सीपीसी") के तहत लागू प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। नियम, 1995 के नियम 11 के उप–नियम (1) के प्रावधान में यह प्रावधान है कि निर्दिष्ट अधिकारी के लिए केवल यह आवश्यक होगा कि वह उसके द्वारा जांचे गए किसी गवाह के साक्ष्य के सार का ज्ञापन तैयार करे। नियम, 1995 के नियम 11 को त्वरित संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया गया है:––

"11. निर्दिष्ट अधिकारी के समक्ष प्रक्रिया तथा उसकी शक्तियाँ :–––

1) इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक चुनाव याचिका की जांच निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा, यथासम्भव, वादों के विचारण के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन लागू प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी:परंतु कि निर्दिष्ट अधिकारी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह उसके द्वारा परीक्षित किसी साक्षी के साक्ष्य के सार का ज्ञापन तैयार करे।

2) निर्दिष्ट अधिकारी के पास निम्नलिखित मामलों के संबंध में वाद की सुनवाई करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत न्यायालय में निहित शक्तियां होंगी:— -------

(क) खोज तथा निरीक्षण;

(ख) साक्षीयों की उपस्थिति को लागू करना, तथा उनके खर्चों को जमा करने की आवश्यकता;

(ग) दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए विवश करना;

(घ) शपथ पर साक्षीयों की परिक्षण ;

(ङ) शपथपत्र पर लिए गए साक्ष्य का स्वीकार करना; तथा

(च) साक्षीयों की परिक्षण हेतु आयोग जारी करना तथा किसी भी व्यक्ति को स्वतः बुलाना तथा परिक्षण करना, जिसका साक्ष्य उसे सामग्री प्रतीत होता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. सी.पी.सी. का आदेश XIV ऐसी सामग्री प्रदान करता है जिससे मुद्दे तैयार किए जा सकते हैं और नियम 4 विवाद्यक तैयार करने से पहले साक्षीयों तथा दस्तावेजों की जांच करने का प्रावधान करता है।

8. **माखन लाल बंगाल (सुप्रा)** के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:---

"19. एक निर्वाचन याचिका एक सिविल विचारण की तरह है। विवाद्यक को तैयार करने का चरण महत्वपूर्ण है क्योंकि उस दिन मुकदमे का दायरा निर्धारित किया जाता है, जिसमें उस मार्ग को निर्धारित किया जाता है जिस पर वाद को आगे बढ़ाया जाएगा, तथा उसमें से विचलन और प्रस्थान को छोड़ दिया जाता है।इसलिए, विवाद्यक के निराकरण के लिए निर्धारित की गई तिथि सुनवाई के लिए निर्धारित की गई तिथि है। पक्षों के बीच वास्तविक विवाद का निर्धारण किया जाता है, संघर्ष के क्षेत्र को सीमित किया जाता है और पक्षों के तर्क को दर्शाते हुए न्यायालय द्वारा रखा गया अवतल दर्पण उन विवाद्यक को इंगित करता है, जिन पर दोनों पक्षों में मतभेद है। सिविल लिस का सही निर्णय काफी हद तक विवाद्यक के सही निर्धारण, विवाद के वास्तविक बिंदुओं को सही ढंग से निर्धारित करने पर निर्भर करता है, जिन पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। विवाद्यक के निराकरण से संबंधित सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 14 की योजना से ज्ञात होता है कि एक विवाद्यक तब उठता है जब तथ्य या विधि का एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव एक पक्ष द्वारा पुष्टि की जाती है और दूसरे द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है।एक पक्ष द्वारा पुष्टि की गई और दूसरे पक्ष द्वारा अस्वीकृत

प्रत्येक भौतिक प्रस्ताव को एक अलग विवाद्यक का विषय बनाना चाहिए। न्यायालय पर यह दायित्व है कि वह वादपत्र/याचिका और लिखित कथन/प्रतिवाद, यदि कोई हो, को पढ़े और फिर पक्षों के विद्वान वकील की सहायता से तथ्य या विधि के उन भौतिक प्रस्तावों का निर्धारण करे जिन पर पक्षकार असहमत हैं। ऐसे विवाद्यक तैयार किए जाएंगे और दर्ज किए जाएंगे जिन पर प्रकरण का निर्णय निर्भर करेगा। पक्षकार और उनके अधिवक्ता विवाद्यक को तैयार करने की प्रक्रिया में न्यायालय की सहायता करने के लिए बाध्य हैं। अधिवक्ता का कर्तव्य न्यायालय पर डाले गए प्राथमिक दायित्व को कम नहीं करता है। पीठासीन न्यायाधीश को पर्याप्त रूप से अभिव्यंजक विवाद्यक निर्धारित करने के लिए स्वयं को प्रयास करना चाहिए। उचित विवाद्यक तैयार करने में चूक मामले को पुनः विचारण के लिए वापस भेजने का आधार हो सकती है, परंतु कि यह दिखाया गया हो कि चूक के कारण पक्षपात हुआ है। यदि ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षकारों के बीच विधि या तथ्य के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न पर कोई विवाद नहीं है, तो याचिका का पहली सुनवाई में निराकरण किया जा सकता है और न्यायालय तुरंत निर्णय सुना सकता है। यदि पक्षकारों के बीच विधि या तथ्य के कुछ प्रश्नों पर कोई विवाद है, तो वाद या याचिका को विचारण के लिए नियत किया जाएगा, जिसमें पक्षकारों से तथ्य के विवाद्यक पर साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।साक्ष्य विवाद्यक तथा अभिवचनों तक ही सीमित रहेंगे। विवाद्यक तथा तर्क के अंतर्गत न आने वाले विवादों पर कोई साक्ष्य सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि प्रत्येक पक्ष विवाद्यक के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करता है, जिसे साबित करने का भार उसी पर होता है। किसी विवाद्यक का उद्देश्य साक्ष्य और तर्क तथा निर्णय को किसी विशेष प्रश्न से जोड़ना होता है, ताकि विवाद के बारे में कोई संदेह न रहे। तब निर्णय, मुद्देवार आगे बढ़ते हुए, यह सटीक रूप से बता सकेगा कि विवाद का निर्णय किस प्रकार किया गया।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. **सब्यारानी (सुप्रा)** के मामले में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है: –

"11. उपरोक्त नियमों में जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है, उससे यह ज्ञात होता है कि चुनाव को अवैध ठहराने के लिए, प्राधिकारी को नियमों में निर्धारित कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। इसका अर्थ यह है कि जब व्यक्ति लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा विधिवत निर्वाचित हो गया है, तो चुनाव में बाधा नहीं डाली जा सकती है। इसके अलावा, 2005(2) सी.जी.एल.जे. 335 में रिपोर्ट किए गए पार्वती बनाम पद्मिनी और अन्य के मामले में भी इसी तरह के प्रस्तावों का पालन किया गया है कि नियम 11 और 12 का पालन किया जाना चाहिए। परिणामस्वरूप, उपरोक्त प्रस्तावों के तहत, इस न्यायालय की राय में, दिनांक 19.12.2016 का आदेश यथावत नहीं रखा जा सकता है। तदनुसार, इसे अपास्त किया जाता है। मामले को कलेक्टर, रायगढ़ के न्यायालय को इस निर्देश के साथ वापस भेजा जाता है कि कलेक्टर विवादित तथ्य के प्रश्न पर मुद्दे तय करने के लिए बाध्य होंगा और उसके बाद छत्तीसगढ़ पंचायत (चुनाव याचिकाएं, भ्रष्ट आचरण और सदस्यता के लिए अयोग्यता) नियम, 1995 के नियम 11 और 12 के तहत दिए गए नियमों का पालन करेंगा।"

10. वर्तमान प्रकरण में, ही **राम (पूर्वोक्त)** के मामले में, इस न्यायालय की एकल पीठ ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः

"13. इस उच्च न्यायालय के उक्त दृष्टिकोण का इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की श्रृंखला में पालन किया गया है, जिसमें 17.11.2016 को निर्धारित गौरी बघेल (सुप्रा) के प्रकरण में याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत किया गया एक निर्णय भी शामिल है। यहां तक कि राज्य के अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णय भी स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि चुनाव याचिका पर निर्णय करते समय विधि को सिविल विचारण की तरह माना जाना चाहिए और विवाद्यक को निर्धारित करना सिविल विचारण में एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।"

11. वर्तमान प्रकरण में, किसी भी भौतिक साक्ष्य के अभाव में और विवाद्यक को तैयार किए बिना और साक्ष्य पेश करने का अवसर दिए बिना, विद्वान न्यायाधिकरण ने दिनांक 16.04.2025 को मतों की पुनर्गणना के लिए आदेश पारित किया है, जो अपने आप में अवैध, मनमाना और विधि के स्थापित प्रस्ताव का घोर उल्लंघन है। इस प्रकार, आदेश पारित करने से पहले विवाद्यक को तैयार करना तथा साक्षीयों से परिक्षण करना आवश्यक है, ऐसा प्रतीत होता है कि विधि के प्रावधानों के तहत प्रदान की गई पर्याप्त प्रक्रिया का पालन किए बिना ही आक्षेपित आदेश पारित किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. उपर्युक्त निर्णयों के आलोक में और ऊपर दिए गए निवेदनों पर विचार करते हुए, चूंकि कानून का सिद्धांत सुस्थापित है कि किसी भी चुनाव याचिका पर उचित विवाद्यक को तैयार किए बिना तथा साक्षीयों की जांच किए बिना अंतिम रूप से निर्णय नहीं लिया जा सकता है, यदि पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, तो दिनांक 16.04.2025 (अनुलग्नक पी/1) का आक्षेपित आदेश रद्द किया जाता है। प्रकरण को अपनी मूल फाइल में पुनर्स्थापित करने तथा विधि के अनुसार प्रकरण का निर्णय करने के लिए न्यायाधिकरण को वापस भेज दिया जाता है। पूर्वगामी को ध्यान में रखते हुए,निर्वाचन न्यायाधिकरण को इस आदेश के उत्पादन की दिनांक से 45 दिनों की अवधि के भीतर विधि के अनुसार और अपने गुणों के आधार पर मामले पर नए सिरे से विचार करने और निर्णय करने का निर्देश देना समीचीन और उचित है।

13. इस अवलोकन तथा निर्देश के साथ रिट याचिका को स्वीकृति दी जाती है।

14. इस पर कोई वाद व्यय देय का आदेश नहीं किया जाता है।

सही/-

(अमितेंद्र किशोर प्रसाद)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur